...की पूर्व अदायगी
... डाक द्वारा भेजे जाने के
अनुमत. अनुमति-पत्र
...पुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

indiacode

क्रमांक 34] रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 फरवरी 2001—फाल्गुन 7, शक 1922

परिवहन विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2001

अधिसूचना

क्रमांक 586/161/परि/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28, सन् 2000) की धारा-79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुये राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश 2000 है .

(2) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर प्रवृत्त होगा .

समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां, जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती है तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधन न कर दी जाये . उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द ''मध्यप्रदेश'' जहां कहीं भी यह आया हो, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किया जाये .

अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 या उनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररुप, विनियम, प्रमाण-पत्र

या अनुज्ञप्ति को को सम्मिलित करते हुये छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी .

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों का नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25, सन् 1991).
2.	मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991.
3.	मोटरयानों से प्रदूषणों की जांच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्रों को अधिकृत करने संबंधी योजना, 1993.
4.	मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994.
5.	केवल वही कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये) जो मोटर व्हेकिल्स एक्ट, 1988 तथा केन्द्रीय मोटर व्हेकिल्स रूल्स, 1989 के अधीन मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा की गई है .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु पिल्ले, संयुक्त सचिव.

IndiaCode

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2001

क्रमांक 588/161/परि./2001.— भारत के संविधान के अनुच्छेद के 348 के खंड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 31-1-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु पिल्ले, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 31st January 2001

NOTIFICATION

No. 586/161/Tr. Deptt./2001.—In exercise of the Powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation of Laws Order 2000.
   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws, as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the state of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that throughout the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the words "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Any things done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule and Motor Vehicles Act, 1988 and Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Laws (2)
1.	Madhya Pradesh Motor Vehicle Taxation Act., 1991 (No. 25 of 1991).
2.	Madhya Pradesh Motor Vehicle Taxation Rules, 1991.
3.	Motoryano Ke Pradooshan Ki Janch Ke Liye Pradooshan Janch Kendron Ko Adhikrit Karne Sambandhi Yojna, 1993.
4.	Madhya Pradesh Motor Vehicle Rules, 1994.
5.	Only these action taken (including any appointment, notifi[illegible]on, notice, order, form regulation, certificate or licence) by the Government of Madhya Pradesh under the Motor Vehicles Act., 1988 and the Central Motor Vechele-Rules, 1989.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENU PILLAY, Joint Secretary

IndiaCode

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित — 2001